न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2012 (राजसमन्द डिक्री)

1. दूधनाथ पिता लक्ष्मणनाथ (मृतक) के बजाय :–

1/1. सुरेशनाथ पिता दूधनाथ जी, निवासी सेमल, हाल शिव कॉलोनी, पुलिस चौकी के पास बड़गांव, उदयपुर (राज.)

1/2. मु. कंकूबाई बेवा दूधनाथ जी, निवासी सेमल, हाल शिव कॉलोनी, पुलिस चौकी के पास बड़गांव, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. शंकरनाथ मु. पन्नानाथ, जाति नाथ निवासी सेमल, तहसील नाथद्वारा, हाल निवासी सवीनाखेड़ा कच्ची बस्ती, उदयपुर (राज.)
2. नारायणलाल उर्फ कैलाशनाथ पिता भंवरनाथ, जाति नाथ निवासी सेमल, तहसील नाथद्वारा, हाल निवासी कानपुर मादड़ी, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती तुलसीबाई धर्मपत्नी भंवरनाथ जी (मृतक)
4. राजमल पिता चुन्नीलाल जी महाजन (मृतक) के बजाय :–

4/1. मोहन पिता राजमल जी महाजन, निवासी सेमल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/2. अशोक पिता राजमल जी महाजन, निवासी सेमल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/3. सोहन पिता राजमल जी महाजन, निवासी सेमल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/4. शान्तू पिता राजमल जी महाजन, निवासी सेमल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/5. श्रीमती बसन्ती (पिता राजमल जी महाजन), पत्नी चौथमल जी महाजन, निवासी सेमल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/6. श्रीमती मंजू (पिता राजमल जी महाजन), निवासी मोलेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी प्रकाश जी माण्डोत (जैन), निवासी खमनोर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 16.04.2012, प्र॰ सं॰ 29/2006

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री राजमल राव अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5
4. श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 6

———::———

निर्णय **दिनांक 09—04—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, विभाजन, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सेमल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार भूमियां स्थित होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित खाता संख्या 65 की आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। खाता संख्या 62 की आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। खाता संख्या 63 की आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। खाता संख्या 64 की आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 4 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। खाता संख्या 68 की आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष भैरूनाथ जी के तीन पुत्र पन्नानाथ, लक्ष्मणनाथ व कन्नानाथ हुए। पन्नालाल लाऔलाद फोत हुए जिसका गोद पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 है। लक्ष्मणनाथ फोत होकर उनके पुत्र भंवरनाथ, शंकरनाथ व दूदनाथ हुए। भंवरनाथ कन्नानाथ के गोद गया। शंकरनाथ पन्नानाथ के गोद गया। दूदनाथ वादी है। कन्नानाथ भी लाऔलाद फोत हुए तथा उनका गोद पुत्र भंवरनाथ भी फोत हो चुका है, जिसके वारिस

प्रतिवादी संख्या 2 नारायणनाथ व प्रतिवादी संख्या 3 तुलसीबाई हैं। लक्ष्मणनाथ के दो पुत्र भंवरलाल व शंकरनाथ पन्नानाथ व कन्नानाथ के गोद चले जाने से लक्ष्मणनाथ की भूमियों में उनका किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं रहा एवं लक्ष्मणनाथ की भूमियों का वादी अकेला मालिक होकर काबिज है, किन्तु लक्ष्मणनाथ की भूमियों में भी शंकरनाथ व भंवरनाथ का नाम वादी दूदनाथ के साथ अंकित हो गया है, जो गलत है। अतएवं निवेदन किया कि खाता संख्या 65 से शंकरनाथ का नाम हटाया जावे, खाता संख्या 62 से भी शंकरनाथ का नाम हटाया जावे 1/3 हिस्सा अकेले वादी के नाम घोषित कराया जावे। इसी प्रकार खाता संख्या 63 से भी शंकरनाथ का नाम हटाया जाकर 1/2 हिस्सा अकेले वादी के नाम दर्ज किया जावे। खाता संख्या 64 से भी शंकरनाथ का नाम हटाया जाकर 1/4 हिस्सा अकेले वादी के नाम दर्ज किया जावे। इसी प्रकार खाता संख्या 68 से भी शंकरनाथ का नाम हटाया जाकर अकेले वादी का नाम अंकित किया जावे। अर्थात वादी द्वारा समग्र रूप से यह निवेदन किया गया कि विवादित भूमियों में लक्ष्मणसिंह की विरासत अकेले वादी के नाम घोषित की जावे एवं जहां–जहां शंकरनाथ एवं भंवरनाथ का नाम आया है उसे हटाया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी न हीं होने का कथन किया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के भी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब का अवसर चाहा गया, परन्तु जवाब पेश नहीं करना से उनका जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा कुल 4 गवाहान पेश किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा शहादत पेश नहीं करने से प्रतिवादीगण की शहादत बन्द की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–04–2012 से वादी का वाद साबित नहीं पाये जाने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07–05–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजमल राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री भूरालाल डांगी उपस्थित

हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट की ओर से आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ क्रम संख्या 1 के ''क'' से ''झ'' तक की जमाबन्दी की नकले पेश की, जो राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने तथा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने प्रार्थना की।

प्रकरण में वकील अपीलान्ट का प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद तथा कुछ भी खण्डन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद वादी का वाद साबित नहीं मानकर खारिज करने में भूल की है। वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों पर किसी प्रकार का मनन किये बगैर मनमकसूद तरीके से विधि विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में की गयी विक्रित भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है तथा उक्त विक्रय वादी के विरूद्ध बेअसर है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौखिक साक्ष्यों का भी विवेचन नहीं किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। इसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विवेचन किये बगैर वादी का वाद साबित नहीं मानकर खारिज कर दिया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण है।

अधिनस्थ न्यालय ने पेश शुदा साक्ष्यों का कोई मूल्यांकन नहीं किया है तथा वादी की अखण्डित प्लीडिंग्स पर भी किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–04–2012 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी द्वारा पेश शुदा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों एवं अखण्डित प्लीडिंग्स के आधार पर उभयपक्षों को पुनः सुनकर विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–06–2018 को उपस्थित रहें। वादी/अपीलान्ट ने इस न्यायालय में जो राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं उसे अधिनस्थ न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

गोर्धनसिंह पिता झालमसिंह राजपूत, निवासी कामा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **श्रीमती नन्दकुंवर के बजाय श्रीमती लेहरकुंवर विधवा नाथूसिंह राजपूत, निवासी कामा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**63 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**नाथद्वारा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....06**.....माह.....**02**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री हीरालाल कटारिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा.....**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–02–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।